न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-416/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) रोशन कुमार तिवारी, पिता-प्रभात तिवारी,
ग्राम-पकड़ी, पो0-पकड़ी, थाना-कुर्साकांटा,
जिला-अररिया..विपक्षी

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
18.01.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1032/हि0शा0, दिनांक 28.05.2020) के आलोक में जोगबनी थाना कांड सं0-18/20, दिनांक-27.01.2020, धारा-30(क)/38(i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 में जब्त मोटर साईकिल बजाज कैलीवर रजिस्ट्रेशन संख्या-JH1K7609, ईंजन संख्या-DDMBLJ00237, चेचिस संख्या-DDFBLJ25662 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षी को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया से जब्त वाहन के मालिक के विस्तृत विवरणी की मांग की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 851/जि0परि0, दिनांक-03.09.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित वाहन के वाहन मालिक का विस्तृत विवरणी कार्यालय के कम्प्यूटर में ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। (2) "दैनिक प्रभात खबर" समाचार पत्र में दिनांक 18.12.2020 के माध्यम से वाहन मालिक को सम्बोधित सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी/वाहन मालिक की ओर से आज तक कोई समुचित पैरवी नहीं की गई। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। विपक्षी/वाहन मालिक को अंतिम मौका दिया गया। स्पष्ट है कि विपक्षी/वाहन मालिक को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को एक पक्षीय सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-1032/हि0शा0, दिनांक 28.05.2020) एवं संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का कहना है कि ASI/GD मनोज अधिकारी 'अ' समवाय, बी0ओ0पी0 दमादिगी दिनांक 26.01.2020 को समय 16.00 बजे सामान्य आरक्षी आशिष कुमार सिंह के साथ मोटर साईकिल से बी0ओ0पी0 दमादिगी से ए0डी0पी0 के लिए रवाना हुए। बैधनाथ पुर गाँव के समीप सीमा स्तंभ सं0-177/4 (WP-60) के लगभग 1.5 किलोमीटर लगभग, ड्यूटी समाप्त करके वापस हो रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक मोटर साईकिल नेपाल की ओर से बैघनाथपुर गाँव में प्रवेश किया। पुलिस बल को देखकर मोटर साईकिल सवार गाड़ी तेजी से भगाने लगा। पुलिस बल द्वारा गाड़ी तेज कर विपक्षी को पकड़ लिया गया। वहाँ स्वतंत्र गवाह तलाशने पर मौजूद नहीं होने के कारण अपने साथ के जवान को स्वतंत्र गवाह-1. ए0एस0आई0 मनोज अधिकारी, पिता-मनिन्द्र नाथ अधिकारी, सा0+पो0-चौक भृगु, थाना-बालूर घाट, जिला-दक्षिण दिनेशपुर (पश्चिम बंगाल) एवं 2. सी0आई0/जी0डी0 आशी कुमार सिंह, पिता-अवधेश प्रसाद सिंह, सा0+पो0-पैकपार, थाना-भरगामा, जिला-अररिया बनाकर उनके सामान की जाँच करवाया। जाँच के क्रम में कुल-145 बोतल प्रति बोतल 300 मिली लीटर नेपाली उमंगा देशी शराब बरामद हुआ। मोटर साईकिल बजाज कैलीवर की जाँच किया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या-JH1K7609, ईंजन संख्या-DDMBLJ00237, चेचिस संख्या-DDFBLJ-25662 है। शराब के बारे में पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया की यह शराब अपने ही घर	

अधिहरण वाद संख्या-416/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)

18.01.2021

पर रखकर खुदरा भाव में बेचते हैं। बरामद शराब एवं मोटर साईकिल को विधिवत् जब्ती सूची तैयार कर जब्त किया गया। बिना किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति, परमिट अथवा पास के बिना किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, कब्जा, क्रय, विक्रय, वितरण, संग्रहण, बोतल बंद, आयात, निर्यात, परिवहन करना अथवा दूर हटाना, शराब का उपभोग आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षी के विरूद्ध जोगबनी थाना कांड सं0-18/20, दिनांक-27.01.2020, धारा-30(क)/38(i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षियो द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय।

(4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्को पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षियो द्वारा जब्त मोटर साईकिल बजाज कैलीवर रजिस्ट्रेशन संख्या-JH1K7609, ईंजन संख्या-DDMBLJ00237, चेचिस संख्या-DDFBLJ25662 का उपयोग अवैध शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल बजाज कैलीवर रजिस्ट्रेशन संख्या-JH1K7609 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार **जोगबनी थाना कांड सं0-18/20, दिनांक-27.01.2020, धारा-30(क)/38(i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 में जब्त मोटर साईकिल बजाज कैलीवर रजिस्ट्रेशन संख्या-JH1K7609, ईंजन संख्या-DDMBLJ00237, चेचिस संख्या-DDFBLJ25662 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 291/विधि, अररिया, दिनांक 25.01.2021.

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

न्यायालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अररिया (बिहार)

समाहर्त्ता, अररिया